न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 124/2020

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

प्रभाशंकर पुत्र श्री जैसाजी
जाति राजगर ब्राहम्ण (पुरोहित)
निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही

स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2–अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश दिनांक 18–11–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि. 13–11–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री–2 तहसील व जिला सिरोही मे राजस्व रेकड जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार नया खाता संख्या 494 पुराना खाता नंबर 287 के खसरा नंबर 2492, 3642, 3644, 3646, 3649, 3653 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 4.0800 हैक्टेयर तथा खाता नंबर नया 495 पुराना खाता नंबर 288 खसरा नंबर 3661 कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.3900 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार प्रभाराम पुत्र जैसाजी दर्ज है जो जैसाजी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज के समय राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार प्रभाराम पुत्र जैसाजी के स्थान पर गलत नाम प्रभाराम पुत्र जैसाजी दर्ज कर दिया है। उपरोक्त खाता नंबरान की आराजी पुश्तैनी है जिसमे प्राथी के नाम बतौर वारिसदार प्रभाशंकर के स्थान पर प्रभाराम का इन्द्राज राजस्व रेकमर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की भुल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बैंकखाता, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स कार्ड आदि मे प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी के नाम से बने हुये है। खाता नंबर 494 व 495 के अन्य सहखातेदार प्रभावित पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार अप्रार्थी नही बनाया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री–2 तहसील सिरोही मे स्थित कृषि भूमि नया खाता संख्या 494 पुराना खाता नंबर 287 के खसरा नंबर 2492, 3642, 3644, 3646, 3649, 3653 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 4.0800 हैक्टेयर तथा खाता नंबर नया 495 पुराना खाता नंबर 288 खसरा नंबर 3661 कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.3900 हैक्टेयर मे खातेदार का नाम गलत इन्द्राज प्रभाराम पुत्र जैसाजी के स्थान पर प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ 2 ज[illegible] 2070 से 2073, आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रति, पैन कार्ड, बैक खाता पा[illegible] पूर्वक अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियाँ आ[illegible] होने से दिनांक 13–11–2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। विचा[illegible]रण मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–11–2020 को दौराने सुनवाई न्यायाल[illegible] मे वकील प्रार्थी तथा अ[illegible]स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–11–2020 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही) द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम कालन्द्री के जमांबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 494 व 495 मे प्रभाराम पुत्र जैसा 1/5 राजगर ब्राहम्ण दर्ज है जो प्रार्थी के अनुसार खातेदार का नाम गलत अंकन है। जबकि उनका वास्तविक सही नाम प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने सबूत मे आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड ,राशनकार्ड ,बैंक पासबुक ईत्यादि दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रार्थी का नाम प्रभाराम पुत्र जैसा के बजाय प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी दर्ज करना उचित है।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों व जवाब तहसीलदार, सिरोही का गहनतापूवक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया। विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिरोही ने अपनी बहस मे यह स्वीकार किया है कि ग्राम कालन्द्री के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 494 व 495 मे प्रभाराम पुत्र जैसा 1/5 राजगर ब्राहम्ण दर्ज है जो प्रार्थी के अनुसार खातेदार का नाम गलत अंकन है। जबकि उनका वास्तविक सही नाम प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने सबूत मे आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड ,राशनकार्ड ,बैंक पासबुक ईत्यादि दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रार्थी का प्रभाराम पुत्र जैसा के बजाय प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी दर्ज करना उचित बताया है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री–2 तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी राजस्व रेकड जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार नया खाता संख्या 494 पुराना खाता नंबर 287 के खसरा नंबर 2492, 3642, 3644, 3646, 3649, 3653 कुल किता 6 कुल क्षैत्रफल 4.0800 हैक्टेयर तथा खाता नंबर नया 495 पुराना खाता नंबर 288 खसरा नंबर 3661 कुल किता 1 कुल क्षैत्रफल 1.3900 हैक्टेयर वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी खातेदार का गलत दर्ज नाम प्रभाराम पुत्र जैसा के स्थान पर सही नाम प्रभाशंकर पुत्र जैसाजी दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:29 IST
Reason: SelfAttested